

न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 10/2022

निर्णय दिनांक 25.03.2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का शेरपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(प्रार्थी)

बनाम

लीला देवी पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल साकिन चक 24 केएनडी तहसील खाजूवाला हाल चक 2 एसएम तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

(अप्रार्थियां)

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

—निर्णय—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शेरपुरा व भूअ.निरीक्षक राणेर ने रिपोर्ट मय प्रपत्र पी. 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थियां ने चक 2 एसएम मुरब्बा नम्बर 88/47 किला नम्बर 11 ता 12 = 2.00 बीघा अनकमाण्ड, 13 = 1.00 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 3.00 बीघा अनकमाण्ड/कमाण्ड राजकीय भूमि पर कृषि सम्वत् 2078 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर गेहू की फसल काशत कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थियां को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थियां के पुत्र ज्ञानीराम के द्वारा तामिल किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थियां की तरफ से अप्रार्थियां के पुत्र ज्ञानीराम ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, कि सरकारी भूमि का ज्ञान नहीं होने के कारण, अवैध काशत कर ली थी। अप्रार्थियां के पुत्र द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति में अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानों के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण में अप्रार्थियां को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थियां के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 113/-अक्षरे एक सौ तेरह रूपये शास्ति आरोपित कर, बेदखली के आदेश पारित किये जाते हैं।

भूअ.निरीक्षक राणेर को आदेशित किया जाता है कि कुर्कशुदा फसल को निलाम कर निलामी की कार्यवाही कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे। बाद अनुमोदन निलामी राशि राजकोष में जमा करावे। तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत लिखा जावे। पत्रावली फसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुलदीप सिंह)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक